

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 सितम्बर 2017 — भाद्र 30, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2017

क्र. एफ ए-3-32-2017-1-पांच (106).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), तथा 15 की उपधारा (5) एवं धारा 16 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर एवं यह आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोक हित में जरूरी है; इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1-पांच (72), दिनांक 21 जुलाई 2017 में निम्न संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 3 के समक्ष, कॉलम (3) की मद सं. (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों जो कि कॉलम (3), (4) और (5) में दी गई हैं, के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :—

(3)

(4)

(5)

“(vi) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ शास्त्रि क्षेत्र, स्थानीय निकाय अथवा एक सरकारी प्राधिकरण को निम्नलिखित के निर्माण, संरचना, स्थापना, पूरा करने मरम्मत करने, नवीनीकरण करने या परिवर्तन करने के माध्यम से प्रदान की गई हो,—

- (क) एक सिविल संरचना या अन्य कोई मूल कार्य जिसका मुख्यतया उपयोग वाणिज्य, उद्योग या अन्य व्यापार व व्यवसाय से भिन्न हो;
- (ख) एक संरचना जिसका मुख्यतया उपयोग (i) शैक्षिक (ii) रोग-नैदानिक अथवा (iii) कला अथवा सांस्कृतिक स्थापना के लिये हो; अथवा

6

(3)	(4)	(5)
(ग) एक आवासीय परिसर जिसका उपयोग स्वयं के प्रयोजन से हो या उनके कर्मचारियों के प्रयोगार्थ हो या अन्य व्यक्तियों के प्रयोगार्थ हो जो मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची के पैरा 3 में वर्णित किए गए हैं.		-
(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v) एवं (vi) से भिन्न विनिर्माण सेवाएं.	9	-".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2017

क्र. एफ ए-3-32-2017-1-पांच .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-32-2017-1-पांच (106), दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 21<sup>st</sup> September 2017

F. A-3-32-2017-1-V-(106).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section, 9 sub-Section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15 and sub-section (1) of Section 16 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of this department Notification No. F A 3-32-2017-1-V(41), dated 29th June 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 3, for item (vi) in column (3) and the entries relating thereto, in columns (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:—

(3)	(4)	(5)
“ (vi) Services provided to the Central Government, State Government, Union Territory, a local authority or a governmental authority by way of construction, erection, commissioning, installation, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, or alteration of,—		
(a) a civil structure or any other original works meant predominantly for use other than for commerce, industry, or any other business or profession;		
(b) a structure meant predominantly for use as (i) an educational, (ii) a clinical, or (iii) an art or cultural establishment; or	6	-
(c) a residential complex predominantly meant for self-use or the use of their employees or other Persons specified in paragraph 3 of the Schedule III of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.		
(vii) Construction services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-“.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.